77

Opening of a Regional Office of the State Bank of Hyderabad in Marathwada

- 992. SHRI DEORAO PATIL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:
- (a) whether Maharashtra Government have made any request to the Government of India to direct the State Bank of Hydrabad to open a regional office in the Marathwada region of Maharashtra; and
- (b) if so, what action has been taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI Y. B. CHAVAN): (a) and (b) In a letter addressed to the Finance Minister, Chief Minister, Maharashtra had suggested transfer of lead responsibility for the Districts of Bhir, Nanded, Osmanabad and Parbhani from the State Bank of Hyderabad to the State Bank of India. In the alternative it was suggested that a fully empowered Regional Office of the Stale Bank of Hyderabad may be set up in Marathwada.

The State Bank of India have reported that preliminary arrangements for transfer of lead responsibility in respect of districts already proposed by the State Bank of Hyderabad, including the four districts of Marathwada, mentioned above, are being undertaken. In the meanwhile, the State Bank of Hyderabad have set up a Special Advances Cell at Aurangabad and have sent a Special Task Force to visit all their branches in their lead districts in Marathwada Region to expedite disposal •f pending loan applications.

In view of these developments, State Bank of India has not considered it necessary at this stage to establish a fully empowered Regional Office of the State Bank of Hyderabad, for the Marathwada Region.

करों की बकाया राशि

993. **शी देवराज पाटिल** : क्या विस्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयकर, धन कर और निगम कर की बकाया राशियों के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है; और (ख) इन करों की बकाया राणि तुरंत बसूल करने के लिये क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं और सरकार कब तक इस बकाया राणि को बसूल कर लेने की ग्राणा रखती है?

t[Tasc arrears

- 993. SHRI DEORAO PATIL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:
- (a) the latest position in regard to the arrears of income-tax, wealth tax and the corporate tax; and
- (b) the details of specific steps being taken to realise forthwith the arrears of these taxes and the time by when Government expect to realise these arrears?]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) 31 मार्च 1974 को जो स्थित वर्तमान थी, उसके धनुसार ग्रायकर, निगम कर तथा धन-कर की सकल तथा शृढ बकाया रकमों का विवरण नीचे दिया गया है:—

न	कल बकाया मांग	णुद्ध बकाया
	(करोड़	रुपयों में)
ग्राय-कर	631.61	385.04
निगम-कर	183.99	86.09
जोड़	815.60	471.13
धन-कर	29.37*	18.13

*ग्रनन्तिम

श्राय-कर (श्रीर निगम-कर) तथा धन-कर की संकल बकाया रकमों का व्यीरा क्रमणः श्रनुबन्ध 'क' श्रीर 'ख' में दिया गया है।

(ख) पिछ्ले तीन वर्षों में आय-कर (और निगम-कर) तथा धन-कर की

†[] English translation.

79

बकाया में से वसूल हुई वकाया में कम की गयी रकम नीचे दी गयी है:

वित्तीय वर्ष	वकाया में सेव ग	सूल हुई/कम की भी रकमें
	धाय-कर	धन-कर्
	(कर	ाड़ रूपयों में)
1971-72	303.64	उपलब्ध नहीं।
1972-73	324.18	उपलब्ध नहीं।
1973-74	329.05	14.02

वकाया को यथासंभव शीघ समाप्त करने के लिए प्रत्येक मामले की स्थिति तथा तथ्यों को निगाह में रखकर सभी कानूनी उपाय किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं जिनमें निम्नलिखित भी गामिल हैं:—

- (1) कर की ग्रदायगी नहीं कारो पर ग्राय-कर ग्रधिनियम की धारा 221 के ग्रधीन दण्ड लगाना ।
- (2) कर-निर्धारिती को देय धन को धारा 226 (3) के ब्राधीन कुर्की करना।
- (3) न्यायालयों में घारा 226 (4) के अधीन धन की कुर्की करना।
- (4) धारा 226 (5) के अधीन चल सम्पत्ति की जब्ती तथा विकी।
- (5) धारा 222 के अधीन वसूली प्रमाणपत्र जारी करना।
- (6) अवल/चल सम्पत्ति की कुर्की/ विकी।
- (7) कर-निर्धारिती को सिबिल कैंद में रखना।

धन-कर की बकाया को समाप्त करने के लिए भी इसी प्रकार के उपाय किये जा रहे हैं। बकाया विभिन्न कारणों से बाकी पड़ी हैं जैसे :— निर्णयाधीन अपीलें, न्यायालयों द्वारा दिये गये स्थगन आदेण, दोहरे आयकर से राहत पर निर्णय, कम्पनियां परिसमाप्त हो गई आदि, आदि । पिछले तीन वर्षों में बकाया की जो वसूली / कमी हुई है उससे पता चलता है कि बकाया की वसूली/कमी में सुधार हो रहा है।

अनुबन्ध 'क'
आय-कर की बकाया रकम का
31 मार्च 1974 को कारणवार क्यौरा
(करोड रुपयों में)

- सकल बकाया रकम 815.60
- II. बकाया रकम का विवरणः
- तिमाही की समाप्ति से पूर्व देय नहीं हुई रकमें 199.94
- वे रकमें जिनके लिये स्थगन स्त्रीकृत किये गये हैं:
 - (क) न्यायालयों द्वारा 23.32
 - (ख) भ्राय-कर प्राधि-कारियों द्वारा:
 - (i) ग्रापीलों के निपटान होने तक 63.10
 - (ii) निर्णयाधीन या याचिकाओं के निप-टान होंने तक 4.10
 - (iii) ग्रन्य कारणों से 8.65

.4. कपर मद 3 में समाविष्ट	(करोड़	9ः अतिरिक्त लाभ कर की (करोड़ इंपर्यों में)
नहीं की गयीरकमें जिन-	रुपयों में)	वकाया रकम
के लिये किस्तें स्वीकृत	·	
की गई है।		10 व्यापार लाभ कर की
(i) श्रपीलों के निप-		वकाय(रकम : क्लू- 1.05 .
		11. अपीलों/निर्णयों में विवाद-
टान होने तक	12.66	•
ं (ii) याचिकाग्रों के	•	ग्रस्त रकमें किन्तु जिन-
ं निर्णय होने तक	2.06	के बारे में स्थगन भादेश ्र
/:::\		नहीं दिया गया भ्रथवा जो
(iii) श्रन्य कारणों से	19.89	किस्तों में सभाविष्ट नहीं
शुद्ध बकाया रकमें (मद 11		की गई 85.29
की मद 1, 2, 3 श्रौर 4		12. श्रन्य सभी बकाया रक्तमें 301.21
को । में से घटाकरके)	471.13	
		ल्य के जोड़: 815,60
 दौहार कराधान ग्रथवा 		
, भ्रन्य राहत दावों के		_
् निपटान होने तक रकम	6.68	अनुबन्ध 'ख'
 वट्टे खाते डालने/ग्राय को 		31 मार्च 1974 को धन-कर की
कम दिखान की याचिका	· •	बकाया रकम का कारण-बार ब्यौरा
√ पर विचार होने तक रकमें	32.74	(करोड रुपयों में)
	02.71	(कराइ रुपया म)
7. परिसमापनाधीन कम्पनियों		I. सकल बकाया रकम 29.37
से प्राप्य रकम	12.08	II. बकाया रकम का विवरण:
8. जो व्यक्ति भारत छोड़ गये	•	ा. तिमाही की समाप्ति से
हैं और/ग्रथवा जिनका	***	पूर्व देय नहीं हुई रकम 7.15
पता नहीं लग रहा है और/	•	, ,
भ्रथवा जिनके गास कोई	*** *	2. समायोजन/सत्यापन की
 जात परिसम्पत्तियां नहीं 	$(x_i,x_i) = (x_i,x_i)$	जाने वाली रकमें 0.39
है ग्रौर/ग्रथवा जिनकी	= /	3. वे रकमें, जिन्हें नीचे उल्लिन ^{के क} ें.
परिसम्पत्तियां पाकिस्तान	5 (1) /2	
स्थित निष्कान्त सम्तत्ति		शादत कारणा स स्थमन- ्राह्म- ्र श्रादेश की मंजूरी दी गयी:
ग्रिभरक्षक के पास है ग्रीर/	•	· ·
्राप्त प्रथवा जो दिवालियेपन च्यान	• 1	(क) न्यायालयों द्वारा 0.77
की कार्यवाहियों में ग्रस्त		(ख) धन-कर ग्रधि-
का कायवाहिया में प्रस्त हैं रोसे व्यक्तियों से प्राप्य		्राह्म कारियों द्वारा काहर स्वर्ण स्वर्ण कारियों द्वारा काहर है।
हरास व्यक्तिया स प्राप्य ' रकमें (ऊपर मद 6 में	99°	(i) श्रपीसों के नि-
	from pages	
		पटान हान तक
(MTT)	23.63	Come Bounds !
6—13 RSS/ND/74		1

83	Written Answer,	[RA	AJYA
	कर-निर्धारण के	(करोड़	
	बन्तर्गत रकम मा-)
	मिल है)	1.76	
	(ii) निर्णय याचि- काग्रों के निपटान		
	होने तक	0.10	
	(iii) ग्रन्थ कारणों से	0.83	
3 श्रौ की	रकमें, जो उपर्युक्त मद में समाविष्ट नहीं है र जिनके लिए किश्तों मंजूरी दी गयी है:—		•
	पटान होंने तक	0.08	
(ii) निर्णय/रिट या- चिकाएं	-	1
(iii) ग्रन्थ कारणों से	0.16	
की : को : 5. दोहरे श्रन्य निर्ण 6. बट्टेस दिखा पर पि	ताया रकमं (मद 11 मद 1, 2, 3 तथा 4 मद 1 में से घटाकर) कराधान स्थवा राहत दावों के य होने तक रकमें बातें डालने/आय को कम ाने की याचिकान्रों नेर्णय के लिए वि- धीन रकमें	18.13 0.08	M G. ar W
7. परिसम् यों	गापनाधीन कम्पनि- से प्राप्य रकमें जो प्रमाणपत्नों के	0.19	T (inc
श्रधीन	श्राती है	0.08	of a
(ভ)		0.01	ratio year
को	पक्तियों ने भारत छोड़ दिया था/ग्रयवा		ff

A SABHA J	lo Questi	ons
जि न का को	ई अता-पता	(करोड़
नहीं तथा/इ	मयवा जो	रुपयों में)
	की कार्य-	
वाहियों में	ग्रन्तग्रस्त	
है, उनसे	प्राप्य रकमें	
(जिसमें उप	र्युक्त मद 6	
में दी गई र	कमें शामिल	
नहीं है)		0.75
9. अपीलो/निर्णयं	ों में	
विवादग्रस्त र	कमें, किन्त्	
जिनके बारे	में स्थगन-	
अविश नहीं	दिया गया	
श्रयवा जो	किश्तों में	
समाविष्ट नहीं	ों की गयी	1.95
10. अन्य सभी ब	नाया रकमें	15.07
	जोड़	29.37

84

t[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH): (a) The position of gross and net arrears of Income-tax, Corporation-tax and Wealth-tax as on 31 -3-1974 is as follows:—

-	Gross demand outstanding	Net arrears
	(In crores of	Rs.)
Income-tax	631.61	385.04
Corporation-tax	183.99	86.09
TOTAL	815.60	471.13
Wealth-tax	29.37*	18.13*

*Provisional

The break-up of gross arrears of Income-tax (including Corporation-tax) and Wealth-tax is given in Annexures 'A' and 'B' respectively.

- (b) The amount of collectionyreduction out of arrears of Income-tax (including Corporation-tax) and Wealth-tax during the last 3 years is as follows:
 - ff] English translation,

(In crores

of rupees)

23.32

63.10

4.10

8.65

12.66

2.06

19.89

471.13

6.68

32.74

12.08

23.63

8.47

1.03

85.29

301.21

815.60

11. Amounts disputed in appeals/

covered by instalments.

12. All other amounts in arrears

references but not stayed or

TOTAL

11.	Particulars of Arrears :			
1.	Amounts not fallen due before	199.94		
	the end of the quarter.			
-0	Assessment all formal and the second	40		

Amounts claimed to have 10.75been paid as advance tax or as deduction at source which is awaiting adjustments/verification.

Annexure 'B'

Annexure B	
Reasonwise break-up of arrears of as on 31-3-1974	Wealth-tax
(In crores	of rupecs)
I. Gross Arrears,	29.37
II. Particulars of Arrears :	
 Amounts not fallen due before the end of the quarter. 	7.15
 Amounts awaiting adjustments/ verification. 	0.39
Amounts for which stay has been granted:	
(a) by the Courts	0.77
(b) by the W.T. authorities	
 (i) pending disposal of appeals (including amount under protec- tive assessments). 	1.76
(ii) pending disposal of	0.10
settlement petitions. (iii) For other reasons.	0.83
 Amounts not covered by item above and for which instalments have been granted: (i) pending disposal of ap- 	0.08
peals.	
(ii) settlements/writ petitions	
(iii) For other reasons	0.16
Net arrears (I minus item 1, 2, 3 and 4 of item Π)	18.13
 Amounts pending settlement D.I.T. or other relief claims. 	80.0
 Amounts pending consider- ation of write-off scaling down petition. 	0.19
 Amounts due from companies under liquidation. 	
(a) Those covered by certifi- cates.	0.08
(b) Others.	0.01
8. Amounts due from persons who	0.75

have left India and/or not (In crores traceable and/or who are involved in insolvency proceedings (excluding amounts covered by Item 6 above.)

Amounts disputed in appeals 1.95

- Amounts disputed in appeals, references but not stayed or covered by instalments.
- 10. All other amounts in arrears. 15.07

 Total 29.37]

Resumption of Canadian Aid

994. SHRI K..P. SINGH DEO : SHRI LOKANATH MISRA :

Will the Minister of 1'INANCE be pleased to state :

- (a) whether Canada has agreed to resume aid to India consequent upon the talks held between the representatives of India and Canada; and
- (b) il' so, what are the details of the fresh agreement entered into between the two Governments in this regard?

THE MINISTER OF FINANCE ^SHRI Y. B. CHAVAN): (a) and (b) Following India's peaceful nuclear experiment on 18th May 1974, Canada announced suspension of aid to India in the field of nuclear development. Canada further announced that their assistance to India for food, fertilizers and agriculture would continue. This position has not undergone change after the Indo-Canadian talks held in Ottawa from 29th to 31st July 1974. These bilateral talks will be further continued. In the meanwhile no fresh aid agreements have been entered into between the two Covermnents.

Sugar export

995. SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

- (a) the quantity of sugar proposed to be exported during the year 1974 and the names of the countries to which it is to be exported;
- (b) what are the proposals for export of sugar to those countries: :<nd